न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 50/2024

बउनवान

श्री छन्नु खां उम्र 56 वर्ष पुत्र श्री बाबू खां, जाति मुसलमान निवासी बालदड़ा, तहसील अन्ता जिला बारां, राज0

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अन्ता जिला बारां (राज0)

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :– 1. श्री राजेश कुमार गुप्ता, अभिभाषक (अपीलांट)
2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक– 24.01.2025

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता के आदेश दिनांक 24.10.2024 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम रायपुरा तहसील अन्ता की आराजी खसरा नम्बर 138 रकबा 0.60 है., किस्म–चारागाह भूमि पर अतिक्रमी मानकर 300/–रूपये अर्थदण्ड एवं 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपीलांट ने अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा निर्णय पारित किया है। अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नही किया गया है तथा न ही स्वतंत्र गवाह प्रस्तुत किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र पटवारी हल्का के बयानों के आधार पर अपीलांट को उक्त आराजी पर अतिक्रमी माना है जबकि अपीलांट ने उक्त वर्णित आराजी पर कृषि कार्य नही किया है। अपीलान्ट ने तावान की राशि भी जमा करवा दी है तथा उक्त आराजी मौके पर खाली पड़ी हुई है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.10.2024 प्रकरण संख्या 01/2024 निरस्त फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर [illegible] कर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय [illegible] किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की [illegible] गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.02.14 10:07:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नही दिया गया है। अपीलांट का उक्त भूमि पर कभी कोई कब्जा नही रहा है, और ना ही ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर है। अधीनस्थ न्यायालय ने स्वतंत्र गवाहान के बयान भी नहीं लिये मात्र हल्का पटवारी के बयानों के आधार पर अपीलांट को उक्त आराजी पर अतिक्रमी मानकर सजायाब किया है जबकि अपीलांट ने उक्त वर्णित आराजी पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.10.2024 निरस्त फरमावें।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में संवत 2079 फसल रबी में उक्त भूमि पर अतिचार करने पर मिसल नम्बर 12/2023 निर्णय दिनांक 13.12.2022 से बेदखल किया गया है। अपीलांट ने स्वंय अपील में अंकित किया है कि उसने तावान राशि भी जमा करवा दी है, इससे स्पष्ट है कि अपीलांट का उक्त आराजी पर कब्जा रहा है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष की सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी ख0नं0 138 रकबा 0.60 है0 किस्म चारागाह ग्राम रायपुरा पर सम्वत् 2079 फसल रबी में भी अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 12/2023 में पारित निर्णय दिनांक 13.12.2022 से बेदखल किया जाना पत्रावली में संलग्न बयान पटवारी हल्का से प्रमाणित है। तथा अपीलांट ने अपील में तावान राशि जमा करवाना स्वीकार किया है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर हीं सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता द्वारा प्रकरण संख्या 01/2024 में पारित आदेश दिनांक 24.10.2024 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.02.14 10:07:37 IST
Reason: SelfAttested

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलेक्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज॰)